

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबडा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
81/25	183, RTA	बिन्दाराडी	छबडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कन्या बाई	बनाम	ओमप्रकाश	
वकील :-	श्री नन्दकिशोर मीणा	आदेश पत्रक	वकील:- श्री
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

10.06.2025

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.07.2025 को पेश हो।

14-7-25

आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18.8.25 को पेश हो।
 14
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबडा (बारा)

18.8.25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। वकील वादी प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण को Not press में खारिज करना चाहते हैं। प्रकरण को Not press किया है। प्रकरण Not press में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली फाइल अगुआर होकर, काउन्सिल नजमीन के दाखिले सप्तर हो।

न्यायालय
 18/8/25